रजिस्टर्ड नं०-एo डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 13 मार्च, 2021 ई० (फाल्गुन 22, 1942 शक संवत्) [संख्या 11

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0			रु0
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	305—336	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
			भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	299—316	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	975
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975			
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975	भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	357—365	975
			स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

19 फरवरी, 2021 ई0

सं0 117/दो-4-2021—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 55/एस एण्ड ए/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा भर्ती, 2016, 2018, 2018 (भाग-II) और 2018 (भाग-III) के संशोधित अन्तिम परिणाम के अन्तर्गत प्राप्त संस्तुतियों के क्रम में नियुक्ति अनुभाग-4 की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 714/दो-4-2020, दिनांक 25 जनवरी, 2021 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रोन्नत/सीधी भर्ती के कुल 52 न्यायिक अधिकारियों/अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये थे।

2—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त पत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा भर्ती, 2016, 2018, 2018 (भाग-II) और 2018 (भाग-III) के अन्तर्गत चयनित सीधी भर्ती के 34 अभ्यर्थियों में से शेष 10 अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षण, अभिसूचना तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (यथासंशोधित) के नियम-18, 20, 21 एवं नियम-22(1) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0सं0	संस्तुति सूची का क्रमांक/अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4
		उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016	
		सर्वश्री/श्रीमती/कु0/सुश्री—	
1	107/6223	शशि भूषण कुमार शान्डिल	सीधी भर्ती
2	119/7129	विजय कुमार हिमांशु	सीधी भर्ती
		उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018	
3	71/5511	सुभाष चन्द्र तिवारी	सीधी भर्ती
4	87/2026	हेमलता त्यागी	सीधी भर्ती
		उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018 (पार्ट-II)	
5	82/3538	मोहित शर्मा	सीधी भर्ती
6	99/758	अंजनी कुमार	सीधी भर्ती
		उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018 (पार्ट-III)	
7	93/4815	सौरभ गोयल	सीधी भर्ती
8	95/2178	कनिष्क सिंह	सीधी भर्ती
9	111/4144	राम कृपाल	सीधी भर्ती
10	112/1556	दिनेश कुमार नागर	सीधी भर्ती

3—उपर्युक्त नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 1698/2020 एवं उसके साथ संलग्न एस0एल0पी0 संख्या 14156/2015 धीरज मोर बनाम माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2020 के अधीन है।

4—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 55/एस एण्ड ए/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा भर्ती, 2016, 2018, 2018 (भाग-II) और 2018 (भाग-III) के संशोधित परिणाम में चयनित सीधी भर्ती के शेष 01 अभ्यर्थी श्री प्रकाश चन्द्र राणा की नियुक्ति सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण होने पर इनके आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

5—उपरोक्त उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा भर्ती, 2018 (भाग-III) के अन्तर्गत सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी श्री राम कृपाल, अनुक्रमांक 4144 की नियुक्ति केस संख्या एन0सी0आर0 No. 12/2012, U/s 323 और 504 आई0पी0सी0, में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

6—उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा भर्ती, 2016, 2018, 2018 (भाग-II) और 2018 (भाग-III) में चयनित समस्त न्यायिक अधिकारियों/अभ्यर्थियों का चयन वर्षवार रोस्टर क्रम में आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

24 फरवरी, 2021 ई0

सं0 826/दो-4-2020-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम0)/मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 10196/IV-2855/एडमिन (ए-1), दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह-III तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सम्प्रति एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अम्बेडकरनगर द्वारा महर्ष दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक से अर्जित की गई पी0जी0 डिप्लोमा इन लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर एण्ड पर्सनल मैनेजमेन्ट उपाधि को उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

सं0 149/दो-4-2021-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम0)/सहायक निबन्धक (एडमिन ए-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	उप निबन्धक (एम0)/सहायक निबन्धक (एडमिन ए-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/ उपाधि	वर्ष
1	सुश्री गार्गी शर्मा, सिविल जज (जू0डि0), इटावा	सं0 1083/IV-4341/एडमिन(ए-1), दिनांक 27-01-2021	लखनऊ विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2016
2	श्री शशि भूषण पाण्डेय, तत्कालीन विशेष जज (ई0सी0 ऐक्ट), गाजियाबाद सम्प्रति पीठासीन अधिकारी, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, सीतापुर	सं0 233/IV-2691/एडमिन (ए), दिनांक 06-01-2021	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	1993
3	श्री अश्वनी कुमार, ए0सी0जे0एम0 (रेलवे), फर्रूखाबाद	सं0 1887/IV-4225/एडमिन(ए-1), दिनांक 08-02-2021	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	एल0एल0एम0	2017

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
संयुक्त सचिव।

अनुभाग-5

कार्यालय-ज्ञाप

19 फरवरी, 2021 ई0

सं0 88/दो-5-2021-19(3)/2016–गुजरात शासन के नोटीफिकेशन संख्या-A/S/35-2019/3/G, दिनांक 01 जनवरी, 2019 द्वारा श्री आलोक कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0 (GJ-2006) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,000-2,15,900 (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

2–उत्तर प्रदेश संवर्ग में वर्ष, 2006 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,000-2,15,900 (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) की स्वीकृति दिनांक 01 जनवरी, 2019 को प्रदान की गयी है। श्री आलोक कुमार पाण्डेय, उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 23 अगस्त, 2017 को कार्यभार ग्रहण कर दिनांक 22 अगस्त, 2020 तक प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे हैं।

3–अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल श्री आलोक कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0 (GJ-2006) को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,000-2,15,900 (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

अवकाश

02 मार्च, 2021 ई0

सं0 158/21-पच्चीस-1/7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र कुमार-2, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 02 नवम्बर, 2020 से दिनांक 05 नवम्बर, 2020 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 09 नवम्बर, 2020 से दिनांक 11 नवम्बर, 2020 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 238/21-पच्चीस-1/7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री आलोक सिंह, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 28 सितम्बर, 2020 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 09 नवम्बर, 2020 से दिनांक 11 नवम्बर, 2020 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 17 नवम्बर, 2020 से दिनांक 20 नवम्बर, 2020 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 269/21-पच्चीस-1/7/2/7/95-सी0एक्स0(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 04 जनवरी, 2021 से दिनांक 08 जनवरी, 2021 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

वित्त विभाग

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-1

सेवा-निवृत्ति

12 फरवरी, 2021 ई0

सं0 आडिट-1-44/दस-2021-322(5)/2003—सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संगठन के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष, 2021 में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर, अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित दिनांक के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56(क) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो जायेंगे :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म-तिथि	सेवा-निवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री—			
1	जहीर अहमद	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	15-10-1961	31-10-2021
2	अशोक कुमार शुक्ल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01-03-1961	28-02-2021
3	राणा प्रताप सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	09-05-1961	31-05-2021
4	अवधेश कुमार अग्रवाल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	11-04-1961	30-04-2021
5	जितेन्द्र कुमार सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	23-03-1961	31-03-2021
6	रविकान्त पाठक	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	30-06-1961	30-06-2021
7	प्रभुनाथ गुप्ता	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	15-06-1961	30-06-2021
8	घनश्याम गुप्ता	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	21-12-1961	31-12-2021
9	ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01-03-1961	28-02-2021
10	जगदीश सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	04-09-1961	30-09-2021

अतरिक्त प्रभार

16 फरवरी, 2021 ई0

सं0 7/2021/आडिट-1-55/दस-2021-320(1)/2021—मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के पत्र संख्या 385/अ-5/2021, दिनांक 18 जनवरी, 2021 द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ तथा उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ की लेखा परीक्षा हेतु किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने का अनुरोध किया गया है।

2—अतः श्री राज्यपाल द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत श्री पदम जंग, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, मुख्यालय लखनऊ को उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ तथा उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिये अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

04 मार्च, 2021 ई0

सं0 02/2021/आई/55681/2021—चयन वर्ष, 2020-21 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 18 फरवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 14/10/पी0/सेवा-1/2020-2021, दिनांक 24 फरवरी, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। विभागीय चयन समिति की संस्तुति को मा0 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती—	
1	सुरेन्द्र प्रताप तिवारी	1
2	केदार राम	4
3	सतीश यादव	6
4	विपिन कुमार राय	9
5	आशीष मिश्रा	12
6	कौशल कुमार	19
7	देवेन्द्र कुमार	20
8	विनोद कुमार शुक्ला	21
9	प्रमोद कुमार शर्मा	22
10	कुंवर बहादुर सिंह	25
11	सुरेश दत्त मिश्रा	27
12	सुनील दत्त	28
13	आशुतोष कुमार ओझा	29

1	2	3
	सर्वश्री / श्रीमती–	
14	ग्रीश कुमार	30
15	नरेन्द्र सैनी	31
16	राकेश कुमार सिंह	32
17	विक्रमाजीत सिंह	33
18	अबरार अहमद	34
19	तेज बहादुर राम	35
20	संजय तलवार	36
21	राधेश्याम शर्मा	37
22	युवराज सिंह	38
23	रोहिताश कुमार धारीवाल	39
24	गजेन्द्र कुमार श्रोतिया	40
25	ब्रज मोहन गिरि	41
26	राज कुमार मिश्रा	42
27	अजय कुमार सिंह	43
28	अशोक कुमार सिंह	45
29	विजय आनन्द शाही	46
30	बीना ठाकुर	47
31	शिव प्रताप सिंह	48
32	संजीव कुमार सिंह चौहान	49
33	दीपक त्यागी	50
34	प्रमोद कुमार पाण्डेय	52
35	डाल चन्द्र	53
36	धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय	54
37	कुशलपाल सिंह यादव	55
38	कुशलपाल सिंह	57
39	संत प्रसाद उपाध्याय	58
40	महेश चन्द्र गौतम	59
41	केदार नाथ सिंह	61
42	राम बिलास यादव	62
43	जितेन्द्र कुमार रस्तोगी	64
44	फणीन्द्र सिंह यादव	65
45	संसार सिंह राठी	67
46	दिनेश चन्द्र मिश्रा	68
47	रमेश चन्द्र पाण्डेय	70
48	परशुराम सिंह	72
49	ओमकार नाथ शर्मा	73
50	कुलदीप तिवारी	74

1	2	3
	सर्वश्री / श्रीमती–	
51	महेश सिंह	75
52	अजय कुमार	77
53	अशोक कुमार सिंह	78
54	राकेश सिंह	79
55	सुनील कुमार राय	80
56	रूद्र कुमार सिंह	81
57	शिवाजी सिंह	82
58	मो0 कासिम	85
59	शीला रानी चौधरी	87
60	साधूराम	88
61	उमा शंकर उत्तम	90
62	कपिल मुनि सिंह	91
63	विजय राज सिंह	92
64	सुनील दत्त दूबे	93
65	अतर सिंह	94
66	अशोक कुमार त्रिपाठी	95
67	मो0 असलम सिद्दीकी	96
68	कुंवर पाल सिंह	97
69	सुनील कुमार त्यागी	98
70	जय प्रकाश त्रिपाठी	99
71	नेत्रपाल सिंह	100
72	श्रीमती कमलेश त्रिवेदी	101
73	रघुवीर सिंह	102
74	अरविन्द कुमार	103
75	राकेश कुमार सिंह	105

2–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 100/2019 श्री विनोद सिंह सिरोही व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उसके साथ सहसम्बद्ध विशेष अपील संख्या 98/2019, 99/2019 तथा 103/2019 एवं उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई याचिका/प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सीबीसीआईडी/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4—पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

5—प्रस्तर-1 में प्रोन्नत कार्मिकों में ज्येष्ठता क्रमांक-9 पर अंकित श्री विपिन कुमार राय का प्रोन्नति आदेश मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या 2461/2010, ज्येष्ठता क्रमांक-21 पर अंकित श्री विनोद कुमार शुक्ला का प्रोन्नति आदेश मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या 1106/2017 एवं 1123/2017 तथा ज्येष्ठता क्रमांक-55 पर अंकित श्री कुशल पाल सिंह यादव का प्रोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 2417/2019 में पारित आदेश दिनांक 20 जून, 2019 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुभाग-1 (अधि0)

प्रोन्नति/नियुक्ति

15 फरवरी, 2021 ई0

सं0 48316/2021-20-1001(099)/11/2020-1-Part (1)—श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री गिरिजा पति द्विवेदी, अनु सचिव, पर्यटन विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही उप सचिव के पद [वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 7,600), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवेल-12] पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री गिरिजा पति द्विवेदी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप सचिव के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3—श्री गिरिजा पति द्विवेदी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

16 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (304)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-304 पर अंकित

(रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000202576) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री शिवम कुमार सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी-टाईप-2, रूम नं0-752, ए0टी0पी0 कालोनी, अनपरा, जनपद-सोनभद्र, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महुली, सोनभद्र में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सोनभद्र के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (330)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-330 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000135928) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री भोला सिंह चौहान पुत्र श्री चन्द्रिका सिंह चौहान, निवासी-ग्राम व पो0-सुरहुरपुर, मुहम्मदाबाद, गोहना, जिला-मऊ, उ0प्र0-276403 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अहिरौली रानीपुर, अम्बेडकरनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अम्बेडकरनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

12 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (337)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-337 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000309055) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री रजनी पुत्री श्री माता बदल, निवासी-ग्राम व पो0-घरकुइयां, तहसील-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी, उ0प्र0-227301 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लवेडी, इटावा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, इटावा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना

देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

16 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (368)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-368 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000126328) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री भारती झा पुत्री श्री अशोक कुमार झा, निवासी-52/114, अर्दली बाजार, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कठकुईया, कुशीनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कुशीनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (383)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-383 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000245119) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री कुँवर अंकुर सिंह पुत्र श्री अमर सेन सिंह, निवासी-C/o श्री एस0बी0 सिंह, SA-2/41, S-3, गणेश नगर, पाण्डेयपुर, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, धनतुलसी, संतरविदास नगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (401)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-401 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000093552) (ओ0बी0सी0) सुश्री शालिनी प्रजापति पुत्री श्री श्याम लाल प्रजापति, निवासी-618, मो0 हुसेनाबाद (भदेसर), पोस्ट-सदर कचहरी, जौनपुर, उ0प्र0-222002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं

यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शिवगंज, औरैया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, इटावा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (433)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-433 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000139924) (ओ0बी0सी0) श्री राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री हरी लाल वर्मा, निवासी-61D/3H/1A, ओम गायत्री नगर, चांदपुर सलोरी, जिला-प्रयागराज, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, छिलउहा, फतेहपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फतेहपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (470)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-470 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000181848) (ओ0बी0सी0) श्री जय प्रकाश यादव पुत्र श्री महन्थ यादव, निवासी-म0नं0-188, ग्राम-करही भुवन, पोस्ट-भठवा तिवारी, थाना-भाटपार रानी, जिला-देवरिया, उ0प्र0-274702 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जंगल लुअठहा, कुशीनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कुशीनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की

सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

श्रम विभाग

अनुभाग-6

शुद्धि-पत्र

15 फरवरी, 2021 ई0

सं0 212/36-6-2021-63(सा0)/17—शासन की विज्ञप्ति संख्या 228/36-6-2019-63(सा0)/17, दिनांक 06 मार्च, 2019 द्वारा 03 चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु निम्नानुसार विस्तारित की गयी है :

क्र0सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	तैनाती स्थल	जन्म-तिथि	अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1	डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव	क0रा0बी0 चिकित्सालय, पाण्डुनगर, कानपुर	25-03-1959	31-03-2021
2	डा0 ए0एन0 सिद्दीकी	प्रभारी चिकित्साधिकारी, क0रा0बी0 औषधालय, जाजमऊ, कानपुर	06-04-1959	30-04-2021
3	डा0 वी0बी0 अग्रवाल	क0रा0बी0 चेस्ट चिकित्सालय, आजादनगर, कानपुर	17-03-1959	31-03-2021

2—निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सालय सेवायें, उ0प्र0, सर्वोदय नगर, कानपुर के पत्रांक पी0एफ0-3375/2020/19647, दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख (हाई स्कूल प्रमाण-पत्र) के अनुसार डा0 वी0बी0 अग्रवाल की जन्मतिथि 17 मई, 1959 है।

3—वर्णित स्थिति में उक्त विज्ञप्ति दिनांक 06 मार्च, 2019 (प्रस्तर-1 की तालिका) के क्रमांक-3 के कालम-4 एवं 5 पर अंकित डा0 वी0बी0 अग्रवाल की त्रुटिवश अंकित ''जन्मतिथि'' 17 मार्च, 1959 के स्थान पर 17 मई, 1959 एवं ''अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त की तिथि'', 31 मार्च, 2021 के स्थान पर 31 मई, 2021 समझा व पढ़ा जाये।

उपर्युक्त विज्ञप्ति संख्या 228/36-6-2019-63(सा0)/17, दिनांक 06 मार्च, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-4

पदोन्नति/तैनाती

18 फरवरी, 2021 ई0

सं0 149/11-4-2021-30(08)/20—वाणिज्य कर विभाग में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण के पद पर (वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10,000 पे मैट्रिक्स लेवल-14) में एतद्द्वारा पदोन्नत करते हुये स्तम्भ-3 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान
1	2	3
1	श्री गणेश कुमार गुप्ता	सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, प्रयागराज
2	श्री विवेक कुमार-I	सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर
3	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव	सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, नोएडा
4	श्री श्रीप्रकाश वर्मा	सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ, सहारनपुर
5	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव-III	सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, कानपुर

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-1

स्थानान्तरण/तैनाती

23 फरवरी, 2021 ई0

सं0 राज्य कर-1-253/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को कालम-3 में अंकित पद/स्थान से कालम-4 में अंकित रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री अशोक कुमार सिंह-VIII	नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-असिस्टेन्ट कमिश्नर, खण्ड-1, खतौली	डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-2, जौनपुर

1	2	3	4
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौरसिया	नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-असिस्टेन्ट कमिश्नर, सचल दल-10, गाजियाबाद	डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, महाराजगंज
3	श्री पंकज लाल	नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-असिस्टेन्ट कमिश्नर, सचल दल, एटा	डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, देवरिया
4	श्री विजय कुमार सोनी	नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-असिस्टेन्ट कमिश्नर, सचल दल-8, आगरा	डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, कर्वी, चित्रकूट
5	श्री धर्मेन्द्र कुमार-I	नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-असिस्टेन्ट कमिश्नर, खण्ड-4, मिर्जापुर	डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-3, शामली
6	श्री दिनेश कुमार-IV	नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-असिस्टेन्ट कमिश्नर सचल दल प्रथम चन्दौली, नौबतपुर	डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, ललितपुर
7	श्री रमेश कुमार यादव	नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-असिस्टेन्ट कमिश्नर, खण्ड-2, बदायूं	डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-2, मऊनाथभंजन
8	श्री राजेश कुमार	नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-असिस्टेन्ट कमिश्नर, खण्ड-5, बरेली	डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-2, पड़रौना, कुशीनगर

सं0 राज्य कर-1-252/11-2021-28/2020–वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को कालम-3 में अंकित पद/स्थान से कालम-4 में अंकित रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री शिशिर प्रकाश	नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-डिप्टी डायरेक्टर, प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ	ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (कार्पोरेट), लखनऊ
2	श्री प्रकाश यादव	नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-डिप्टी कमिश्नर, खण्ड-3, शामली	ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ
3	श्री सुजीत कुमार जायसवाल	नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, पदोन्नति पूर्व तैनाती-डिप्टी डायरेक्टर, प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ (प्रतिनियुक्ति पर कुलसचिव, वीर बहादुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर)	ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (टैक्स आडिट), मेरठ

आज्ञा से,
सर्वज्ञ राम मिश्र,
विशेष सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

सेवानिवृत्ति

19 फरवरी, 2021 ई0

सं0 96/सत्ताईस-13-2021-41 से0नि0/91—स्टाफ अधिकारी (ई-2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 21/ई-2/3बी 40आर/सेवानिवृत्तिक, दिनांक 14 जनवरी, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार एतद्द्वारा यह विज्ञापित किया जाता है कि उ0प्र0 अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल), कैलेण्डर वर्ष 2021 में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या-4 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे :

क्र0	सहायक अभियन्ता (सिविल) का नाम	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
1	श्री सुरेश पाल सिंह	02-09-1961	02-09-2021

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
अपर मुख्य सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

26 फरवरी, 2021 ई0

सं0 R 217/38-1-2021-3567/2020—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री अक्सीर खान पुत्र श्री शब्बीर खान को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद मुजफ्फरनगर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 218/38-1-2021-3567/2020–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री नेहा शर्मा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद मुजफ्फरनगर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 219/38-1-2021-3567/2020–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री गौरीशा श्रीवास्तव पुत्री श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद अयोध्या में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 220/38-1-2021-3567/2020–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री नवीन कुमार पुत्र श्री हितेश कुमार को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद आगरा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 221/38-1-2021-3567/2020–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री रशेष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद अयोध्या में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 222/38-1-2021-3567/2020—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बंश बहादुर सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद गोण्डा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 223/38-1-2021-3567/2020—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री नागेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री मुक्तिनाथ पाण्डेय को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद गोण्डा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 224/38-1-2021-3567/2020–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री प्रतिमा शर्मा पुत्री श्री सतगुरू प्रसाद शर्मा को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद इटावा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 225/38-1-2021-3567/2020–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री कौशल कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधे श्याम गुप्ता को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली,

1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद फर्रूखाबाद में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 226/38-1-2021-3567/2020—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री गगनदीप सिंह पुत्र श्री राबिन्द्र कुमार को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद फर्रूखाबाद में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 227/38-1-2021-3567/2020—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री संदीप कुमार पुत्र श्री सूबेदार राम को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद बिजनौर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 228/38-1-2021-3567/2020—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री स्वाती सिंह पुत्री श्री जे0आर0 सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद मैनपुरी में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 229/38-1-2021-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री गरिमा देवी पुत्री श्री बृजराज सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद बरेली में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 230/38-1-2021-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री मनीष मिश्रा पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद सोनभद्र में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों

में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 231/38-1-2021-3518/2019–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री नीरज कुमार तिवारी पुत्र श्री सत्रजीत तिवारी को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद सोनभद्र में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 232/38-1-2021-3518/2019–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री उदिता त्रिवेदी पुत्री स्व0 संजय कुमार को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद पीलीभीत में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 233/38-1-2021-3518/2019–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री शची मिश्रा पुत्री श्री सुनील मिश्रा को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद हरदोई में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

पदोन्नति

01 मार्च, 2021 ई0

सं0 27/2021/439/23-3-2021-19 ई0एस0/2020—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राकेश राजवंशी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रु0 10,000 (मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राकेश राजवंशी, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

सं0 28/2021/417/23-3-2021-21 ई0एस0/2020—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अनिल मिश्रा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रु0 8,900 (मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री अनिल मिश्रा की पदोन्नति मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या 834/2020 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3—श्री अनिल मिश्रा, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
जे0 बी0 सिंह,
सचिव।

01 मार्च, 2021 ई0

सं0 29/2021/479/23-3-2021-22 ईएस/2020—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री बच्चू लाल सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री बच्चू लाल सिंह, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

02 मार्च, 2021 ई0

सं0 337/23-3-2021-16 (ई0एस0)/2020 टी0सी0—तात्कालिक प्रभाव से श्री साजिद आफताब उस्मानी, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) सम्बद्ध कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, कानपुर के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुये मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का अस्थाई प्रभार नितान्त कामचलाऊ व्यवस्थान्तर्गत प्रदान किया जाता है।

2—उक्त अस्थायी प्रभार नियमित/स्थायी तैनाती होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

आज्ञा से,
जे0 बी0 सिंह,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0—50 हिन्दी गजट—भाग 1—2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 मार्च, 2021 ई० (फाल्गुन 22, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 विधि 4(3)/फार्म मिसिंग/2020-21/620/वाणिज्यकर–केन्द्रीय बिक्रीकर नियमावली, 1957 के नियम 8 के उपनियम (13) के प्राविधान के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने/नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	फार्म का प्रकार/संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	कुल संख्या
1	2	3	4	5
1	सर्वश्री गीता आटो सेल्स, अयोध्या, टिन नं0-09821803092	फार्म सी संख्या-14365003	व्यापारी द्वारा खोये गये	01
2	सर्वश्री अग्रबन्धु फुटकेयर, मो0 हकीमान थाना भवन, शामली, टिन नं0-09373200523	फार्म सी संख्या- UPCT/C 2010. 1463125, 1463126, 1463127	व्यापारी द्वारा खोये गये	03

सुनील कुमार राय,
एडीशनल कमिश्नर (विधि),
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

28 जनवरी, 2021 ई0

नियुक्ति/आदेश

सं0 स्था-2-नियुक्ति–2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/7569/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री कपिल कुमार पुत्र श्री परवीन सिंह, मकान नं0-260, निवासी कोठामहमूद, पोस्ट-अलियाबाद, तहसील-ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद, उ0प्र0-244401 (अनुक्रमांक-513597) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800+ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री कपिल कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री कपिल कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयेग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री कपिल कुमार की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री कपिल कुमार की तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री कपिल कुमार को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर मेरठ जोन मेरठ के कार्यालय से आधार भूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बन्ध किया जाता हैं

श्री कपिल कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अमृता सोनी,
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

झांसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

28 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 127/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21–उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झांसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 एवं 688/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झांसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को,

जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पनारी एवं लोहागढ़, तहसील मोंठ के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकारों में लेता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	मोंठ	मोंठ	पनारी	648 मी0	0.090	श्रेणी 5(1) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)।
2	झांसी	मोंठ	मोंठ	लोहागढ़	757 मी0	0.012	श्रेणी 5(1) नई परती	

31 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 140/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झांसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 एवं 688/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झांसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम बझेरा, तहसील मोंठ के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकारों में लेता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	मोंठ	मोंठ	बझेरा	285 मी0	0.250	श्रेणी 5(3)ङ बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)।

03 जनवरी, 2021 ई0

सं0 155/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झांसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झांसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को,

जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम सेमरा एवं हरदुवा, तहसील गरौठा के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकारों में लेता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	गरौठा	गरौठा	सेमरा	165	0.372	श्रेणी 5(1) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)।
2	झांसी	गरौठा	गरौठा	हरदुवा	22-मि0	0.251	श्रेणी 6-4 बीघड़	

सं0 156/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)-2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झांसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम बरगांय अहीर (ग्राम पंचायत आलमपुरा), तहसील गरौठा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं–

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झांसी	गरौठा	बरगांय अहीर (ग्राम पंचायत आलमपुरा)	635	0.364 में से 0.352	श्रेणी 5(1) कृषि योग्य नई परती (हरिजन आवादी) के स्थान पर श्रेणी 5(1) कृषि योग्य भूमि नई परती	1158-मि0	0.352	श्रेणी 5(1) कृषि योग्य भूमि नई परती के स्थान पर श्रेणी 5(1) कृषि योग्य नई परती (हरिजन आवादी)

30 दिसम्बर, 2020

सं0 133/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परि0/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)-2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी,

जिलाधिकारी, झांसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम खिसनी बुजुर्ग (ग्राम पंचायत खिसनी बुजुर्ग), तहसील मऊरानीपुर में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं–

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिसमें श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झांसी	मऊरानी पुर	खिसनी बुजुर्ग (ग्राम पंचायत खिसनी बुजुर्ग)	1276	रकवा 7.187 में से 0.162	श्रेणी 6-2 अकृषिक भूमि (आवादी) के स्थान पर श्रेणी 5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	खिसनी बुजुर्ग 1197 मि0	रकवा 0.553 में से 0.162	श्रेणी 5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी 6-2 अकृषिक भूमि (आवादी)

सं0 134/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21–उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झांसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 एवं 688/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झांसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम देवगढ़ एवं लावन्, तहसील मोंठ के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	मोंठ	मोंठ	देवगढ़	591-मि0	0.162	श्रेणी 5(1) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)।
2	झांसी	मोंठ	मोंठ	लावन	598-मि0	0.160	श्रेणी 5(2) पुरानी परती	

सं0 135/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21–उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झांसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झांसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को,

जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम भदरवारा, तहसील मऊरानीपुर के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	भदरवारा	692 मि0	0.247	श्रेणी 5-3 ड़ बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)।

आन्द्रा वामसी,
जिलाधिकारी, झांसी।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

19 जनवरी, 2021 ई0

सं0 995/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0/2020-21—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	तिंदरा ग्राम समाज उदगुवां	374-मि0	0.250	श्रेणी 5-3ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को बदनपुर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 996/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0/2020-21—शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016

द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	तलऊ ग्राम समाज साढूमल	235-मि0	0.160	5-3-ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को सैदपुर-कुम्हैड़ी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 997/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0/2020-21–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	आगरा ग्राम समाज जलंधर	134/4-मि0	0.161	5-3 ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को सैदपुर–कुम्हैड़ी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

अन्नावि दिनेशकुमार,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञा

02 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1168/डी0एल0आर0सी0/2020–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम औरंगाबाद अहीर, परगना अगौता, तहसील सदर जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उप जिलाधिकारी, सदर जिला बुलन्दशहर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.310 हे0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम औरंगाबाद अहीर, परगना अगौता, तहसील सदर, जिला बुलन्दशहर के भवन निर्माण हेतु, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (उत्तर प्रदेश शासन का सेवारत विभाग) के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	गांव/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	सदर	अगौता	औरंगाबाद अहीर	979	0.310	5-2/कृषि योग्य भूमि-पुरानी परती (परती कदीम)/बंजर	उ0प्र0 शासन के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निवर्तन पर रखते हुए ग्राम औरंगाबाद अहीर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु।

रविन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

04 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1841/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम मुड़हरा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 408 के गाटा संख्या 79मि0 रकबा 0.141 हे0 सम्पूर्ण व 79 मि0 रकबा 0.506 हे0 कुल दो किता रकबा 0.647 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 2,46,400.00 (दो लाख छियालीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था

पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		महोबा	मुड़हरा	79 मि0	0.141	श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा–सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					79 मि0	0.506		
					दो किता	0.647 में से 0.160		

सं0 1842/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम श्रीनगर, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1188 के गाटा संख्या 932 रकबा 2.096 हे0 में 0.480 हे0 मालियत रु0 4,24,800.00 (चार लाख चौबीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		महोबा	श्रीनगर	932	2.096 में से 0.480	श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा–सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 1843/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-

2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम लेवा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 311 के गाटा संख्या 132/23 रकबा 8.066 हे0 में 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़		लेवा	132/23	8.066 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा–सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 1844/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बुधवारा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 793 के गाटा संख्या 188 रकबा 0.829 हे0 में 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़		बुधवारा	188	0.829 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा–सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 1845/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम नैपुरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 476 के गाटा संख्या 987/4 रकबा 1.298 हे0 में 0.250 हे0 मालियत रु0 1,60,000.00 (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़		नैपुरा	987/4	1.298 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा—काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.250		

सं0 1846/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2021 द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, चरखारी की आख्या दिनांक 02 फरवरी, 2021 व अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई एवं नोडल अधिकारी एस0डब्लू0एस0एम0 महोबा की आख्या दिनांक 02 फरवरी, 2021 के क्रम में श्रेणी-5 के तहत उपलब्ध बंजर भूमि के ओ0एच0टी0 के लिये उपयुक्त न होने, इस हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न होने एवं लोगों को पेयजल की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त खलिहान के खाते की सुरक्षित भूमि का श्रेणी परिवर्तन अपरिहार्य पाये जाने एवं संस्तुति के क्रम में, मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम नौसारा (ग्राम पंचायत नौसारा), तहसील व जनपद महोबा स्थित भूमि राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने के कारण लोक उपयोगिता के दृष्टिगत

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के ओ0एच0टी0 की स्थापना हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं :

अनुसूची

मौजा ग्राम–नौसारा, परगना व तहसील–चरखारी, जनपद महोबा–

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के ओ0एच0टी0 की स्थापना हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि का विवरण								ग्राम सभा के खाते की अन्य भूमि जिससे सुरक्षित खाते की भूमि की प्रतिपूर्ति की जानी प्रस्तावित है						
क्र0 सं0	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा	अवशेष रकबा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा	अवशेष रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6-2 जो अन्य कारणों से अकृषिक हो	खलिहान	164	130	0.458	0.138	0.320	श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	बंजर	158	127	0.138	0.138	0

सत्येन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी,
महोबा।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

15 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1607(iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना के ग्राम शाहपुर में पव सृजित नगर पंचायत, पिसावा (अलीगढ़) के डम्पिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 818/नौ-5-19-56सा/2018, नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 07 मार्च, 2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	गभाना	चण्डौस	शाहपुर	303	0.461	6-4 ऊसर	नव सृजित नगर पंचायत, पिसावा के डम्पिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु। नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

कार्यालय, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी

27 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1435/8-19 (2018-2021)रा0स0—उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 32/744-एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4(1) (ग) में किये गये प्राविधान तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1) (ज), (झ), (ट), व (ड), एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में दी गई व्यवस्थानुसार, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 28/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन मैं, दीपक अग्रवाल, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	खाता संख्या	आराजी सं0	क्षेत्रफल	विवरण, प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								हेक्टेयर	
1	गाजीपुर	सैदपुर	सैदपुर	पिपनार	पिपनार	00486 (6-4 ऊसर)	450 छसं0	1.012	वृहद गो-संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु।

दीपक अग्रवाल,
आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ

21 जनवरी, 2021 ई0

सं0 4765/6923/ले0/ले0प0 संवर्ग/का0 एवं दा0/2020—उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या 251/दस-2014-11-2013, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 द्वारा एकीकृत/संयुक्त अधीनस्थ लेखा संवर्ग का गठन होने के फलस्वरूप अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण की व्यवस्था स्थापित हुई तथा तद्क्रम में वर्तमान में आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों में लेखा कार्मिकों की तैनाती की जा रही है।

शासन द्वारा विभिन्न विभागों में लेखा संवर्ग की स्थापना का मूल उद्देश्य यह है कि प्रारम्भिक स्तर पर वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन एवं परीक्षण इस प्रकार हो कि वित्तीय अनियमितताओं/शासकीय धनराशि की क्षति की सम्भावना नगण्य रहे। संवर्ग के कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण न होने के कारण कार्मिकों को कार्य निष्पादन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाने से जहां एक ओर लेखा कार्मिकों को अपने कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी वहीं दूसरी ओर शासन की मंशानुरूप विभागीय हित में लेखा संवर्ग के कार्मिकों की सेवाओं का अधिकतम उपयोग सम्भव हो सकेगा।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एस0ई0-222/दस-2020, दिनांक 14 जुलाई, 2020 द्वारा अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

विभागों में स्थापित लेखा संगठन के कार्य एवं दायित्वों का उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय 18-ए में किया गया है जिसके आलोक में अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार निर्धारित किये जाते हैं :

(अ) लेखाकार के कार्य एवं दायित्व

1—वार्षिक आय-व्ययक (बजट) तैयार करना, नई मांगों तथा अनुपूरक मांगों, आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण एवं बजट आवंटन आदि का प्रस्ताव तैयार करना।

2—व्ययाधिक्य एवं बचत का प्रारम्भिक एवं अन्तिम विवरण पत्र तैयार करना।

3—पुनर्विनियोग प्रस्ताव तैयार करना एवं बचतों का समय से अभ्यर्पण करना।

4—रोकड़ बही की प्रविष्टियों की जांच करना।

5—अधिष्ठान, आकस्मिक एवं अन्य योजनाओं से सम्बन्धित तैयार किये जाने वाले समस्त देयकों/बिलों का भुगतान पूर्व परीक्षण करना।

6—देयक पर ''भुगतान हेतु अग्रसारित'' लिखते हुये अपनी मोहर सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे, तत्पश्चात् देयक आहरण-वितरण अधिकारी/कोषागार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

7—क्रय की जाने वाली सामग्री/भण्डार आदि से सम्बन्धित पत्रावलियों/प्रस्तावों का भण्डार क्रय नियमावली एवं भण्डार क्रय से सम्बन्धित अन्य अद्यतन सुसंगत शासनादेशों के आलोक में परीक्षण करना।

8—विभागीय लेखों, जिनमें व्यय तथा प्राप्ति दोनों ही सम्मिलित होते हैं, का संकलन कराना एवं उनका कोषागार/महालेखाकार के आंकड़ों के साथ मिलान एवं लेखा समाधान कराना।

9—विभिन्न कार्यालयों का आन्तरिक लेखा परीक्षा, विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं महालेखाकार द्वारा उठायी गयी सम्परीक्षा सम्बन्धी आपत्तियों का निस्तारण/परिपालन कराया जाना।

10—ड्राफ्ट पैरा एवं भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रस्तरों की व्याख्यात्मक टिप्पणी तैयार करना।

11—वेतन निर्धारण, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 तथा वार्षिक वेतनवृद्धि से सम्बन्धित प्रकरणों का परीक्षण करना।

12—सेवानिवृत्त/मृत होने वाले राजकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका, पेंशन प्रपत्रों, जी0पी0एफ0, सामूहिक बीमा, अवकाश नकदीकरण एवं एन0पी0एस0 आदि सहित अन्य समस्त सेवानैवृत्तिक देयों का भुगतान पूर्व परीक्षण करना।

13—जी0पी0एफ0 अस्थायी/स्थायी अग्रिम एवं 90 प्रतिशत भुगतान के प्रस्तावों की जांच व परीक्षण करना।

14—सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय सेवकों का 90 प्रतिशत भुगतान हेतु जी0पी0एफ0 प्राधिकार पत्र निर्गमन कराने सम्बन्धी कार्य।

15—विभिन्न स्तर के अधिकारियों को प्रेषित की जाने वाली वित्तीय सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना।

16—ई—कुबेर भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया जाना।

17—निष्प्रयोज्य सामग्री/भण्डार के सामयिक निस्तारण हेतु नीलामी से सम्बन्धित पत्रावलियों/प्रकरणों का परीक्षण करना।

18—निविदा सम्बन्धी कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

19—माप पुस्तिका/श्रमिक चिट्ठों की जांच एवं भुगतान हेतु संस्तुति करना।

(ब) सहायक लेखाकार के कार्य एवं दायित्व

1—व्यय विवरण तैयार कराया जाना।

2—जी0पी0एफ0—लेजर/पासबुक, एन0पी0एस0—लेजर/पासबुक की वार्षिक लेखाबन्दी का परीक्षण।

3—भवन निर्माण/मरम्मत/मोटरकार/स्कूटर/कम्प्यूटर अग्रिम आदि पर देय ब्याज की गणना का परीक्षण करना।

4—आयकर/जी0एस0टी0 से सम्बन्धित कार्य।

5—राजकीय क्षति/वसूली से सम्बन्धित आदेशों के सापेक्ष वसूली योग्य धनराशि का अनुश्रवण एवं लेखांकन करना।

6—लेखाकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

कार्यालय में सहायक लेखाकार/लेखाकार में से कोई पद रिक्त होने की दशा में कार्यरत लेखाकार/सहायक लेखाकार द्वारा उपरोक्त सभी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। नियंत्रक अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि वे कार्यालय में कार्यरत लेखा संवर्ग के कार्मिकों से उपरोक्तानुसार कार्य एवं दायित्वों का निष्पादन कराया जाना सुनिश्चित करें। सहायक लेखाकार/लेखाकार कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा कार्यालयाध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा व्यवहरित पत्रावलियां/प्रकरण कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी के माध्यम से सीधी कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों को अपने लेखा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु ऐसे समस्त प्रकरण/अभिलेख/पत्रावलियां, जिनमें वित्तीय उपाशय निहित हों, को देखने, मांगने, जांचने तथा परीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा। कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा वित्तीय/लेखा सम्बन्धी कार्यों में लेखा कार्मिकों की उपेक्षा न की जाये।

यदि किसी विभाग में उस विभाग की लेखांकन प्रक्रिया की स्थिति विशेष के दृष्टिगत वहां के लेखा कार्मिकों के लिये उक्त कार्यों के अतिरिक्त कोई पृथक लेखा सम्बन्धी कार्य निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है तो सम्बन्धित विभाग के समुचित प्रस्ताव पर निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा द्वारा उस विभाग विशेष हेतु पृथक से आदेश निर्गत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

सं0 4766/6923/ले0/ले0प0 संवर्ग/का0 एवं दा0/2020—उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या 1/2015/वे0आ0-2-53/दस-2015-11-2013, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा एकीकृत/संयुक्त अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग का गठन होने के फलस्वरूप अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण की व्यवस्था स्थापित हुई तथा तद्क्रम में वर्तमान में आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों में लेखा कार्मिकों की तैनाती की जा रही है।

आन्तरिक लेखा परीक्षा, वित्तीय नियंत्रण/प्रशासन की एक प्रभावी विधा है जिसके द्वारा वित्तीय अनियमितताओं चोरी, गबन, त्रुटि एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों को न केवल प्रकाश में लाया जाता है बल्कि इनके सुधार के लिये भी यह एक प्रभावी माध्यम है। आन्तरिक लेखा परीक्षा इकाई/विभाग के क्रिया कलापों के सम्बन्ध में अपना निष्पक्ष एवं वस्तुपरक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एस0ई0-222/दस-2020, दिनांक 14 जुलाई, 2020 द्वारा अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग के कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य करने वाले ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक (जिन विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु लेखाकार/सहायक लेखाकार तैनात हैं, उनमें ऐसे लेखाकार/सहायक लेखाकार) के कार्यों में स्पष्टता, सुगमता एवं प्रभावशीलता हेतु निम्नवत् कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं—

1—शासन/विभागों तथा आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य निष्पादित करना।

2—सम्बन्धित इकाई/विभाग में विद्यमान लेखा प्रक्रिया की समीक्षा करना तथा कोई कमी पाये जाने पर इकाई/विभागीय प्रमुख को आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के माध्यम से परामर्श देना।

3—निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना।

4–आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित प्रस्तरों के उत्तर/परिपालन आख्या का परीक्षण करना तथा उनके निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियानुसार निष्पादित कराना।

5–आन्तरिक लेखा परीक्षा के अवशेष प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की समीक्षा/अनुश्रवण करना तथा उनके निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

6–विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति एवं उप समिति की बैठकों के आयोजन एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा की मासिक, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रेषण का कार्य।

7–आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा सौंपे गये आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित अन्य कार्य।

संतोष अग्रवाल,
निदेशक।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 258/जी0-610/2018-19(4)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 ई0) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 3741/सी0एच0आई0ई0-454/53, दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 23/1-1-1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड-ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरदोई के ग्राम तुर्तीपुर में चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने का निश्चय किया गया है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा, जिसके तहत प्रख्यापन होना है
1	2	3	4	5	6
1	हरदोई	हरदोई	बंगर	तुर्तीपुर	धारा-4क (1)/प्रथम चक्र

27 जनवरी, 2021 ई0

सं0 535/जी0-610/2016-17–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 4-क की उपधारा (2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 3741/सी0एच0आई0ई0-454/53, दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 23/1-1-1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड-ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद बस्ती के ग्राम जैतापुर, तप्पा अतरोह में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है
1	2	3	4	5	6
1	बस्ती	हरैया	अमोढ़ा	जैतापुर, तप्पा अतरोह	धारा-4क (2)/द्वितीय चक्र

15 जनवरी, 2021 ई0

सं0 373/जी0-164/59-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के ग्राम हकीमपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

21 जनवरी, 2021 ई0

सं0 465/जी0-153/61-2006—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली के ग्राम जरौल मु0 में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 467/जी0-157/65-08—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-5 सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, जनपद देवरिया के ग्राम सोहनपार तप्पा हवेली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 468/जी0-48/54-80(2)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के ग्राम ईशरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 469/जी0-168/59-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम कुतुवापुर ई0 पड़रीलाल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 470/जी0-15/54/80-19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी के ग्राम भीखनपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 471/जी0-152-A/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर के ग्राम जुमेदपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 472/जी0-157/65/2019-20–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम वजीरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 473/जी0-201/64-2019–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद मीरजापुर के ग्राम कोल्हुआ साहू तप्पा कोन में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 474/जी0-216/62–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर के ग्राम सिरौरा खादर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 475/जी0-266/56–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद गोरखपुर के ग्राम जंगलरामगढ़ उर्फ रजही (खालेटोला) तप्पा हवेली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 476/जी0-61-B/57/2019-20–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5) 1991 टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
सम्भल	चन्दौसी	1	सिंहपुर
		2	मनौना

29 जनवरी, 2021 ई0

सं0 635/जी0-366/2020-21/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0 813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के ग्राम कितनापुर में उपुर्यक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 592/जी0-610/2012, दिनांक 05 फरवरी, 2015 एतद्द्वारा निरस्त करता हूं।

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–50 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए० डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 मार्च, 2021 ई० (फाल्गुन 22, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत गोकुल, जनपद मथुरा

07 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 176/न0पं0गो0—नगर पंचायत गोकुल जिला मथुरा में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) के शीर्षक (ए)(बी)(सी) तथा जे0डी0 एवं धारा 212-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा के बाहर 5 किलोमीटर की परिधि में भवन निर्माण उपविधि बनाई है। जिसका नगर पंचायत गोकुल द्वारा दैनिक "हिन्दुस्तान" समाचार-पत्र व "तरूण मित्र" समाचार-पत्र के अंक दिनांक 20 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित की जा चुकी है। निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अन्तिम कार्यवाही हेतु पुनः समाचार-पत्र दैनिक "हिन्दुस्तान" समाचार-पत्र व "तरूण मित्र" समाचार-पत्र के अंक दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 को अग्रिम कार्यवाही प्रकाशित किया जा चुका है। तथा अन्तिम निर्णय के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है। और यह घोषित किया जा रहा है। कि उक्त अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

भवन मानचित्र एवं प्रोजेक्शन उपविधि, 2020

1—**संक्षिप्त नाम व विस्तार**—(1) यह उपविधि भवन एवं प्रोजेक्शन उपविधि, 2020, नगर पंचायत, गोकुल, जनपद मथुरा कहलायेगी।

(2) यह उपविधि उ0प्र0 सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2—(1) ''भवन निर्माण'' से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा के अन्दर होने वाले किसी भी भवन के नये निर्माण, पुनर्निर्माण वर्तमान भवन में परिवर्तन आदि से है तथा नगर पंचायत की सीमा के 5 कि0मी0 बाहर तक लागू रहेगी।

(2) ''प्रोजेक्शन'' से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा के अन्दर सार्वजानिक एवं सरकारी सड़क या नाली के ऊपर छज्जा या चबूतरा आदि के निर्माण से है।

(3) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत में नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(3अ) ''अध्यक्ष/प्रशासक'' से तत्पर्य नगर पंचायत गोकुल से है।

3—(1)नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के किसी भवन या उसके किसी स्थान में निर्माण, पुनिर्माण या उसमें सारवान परिवर्तन अथवा बड़ा करने के अभिप्राय से अथवा छज्जा या चबूतरा बनाने के अभिप्राय से व कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक को धारा 178(1) के अन्तर्गत नगर पंचायत को नोटिस देना होगा—

[क] प्रार्थी को स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि रु0 2.00 के कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर होगा।

[ख] इस प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी को दो मानचित्र प्रस्तुत करने होंगे। इन मानचित्रों में प्रस्तावित मकान का पूर्ण विवरण दिया जा जावेगा तथा यह भी दर्शाया जावेगा। कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

[ग] प्रार्थी इन मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहां निर्माण कार्य करना चहता है उसकी अपनी है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

[घ] प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए वह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेरवदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नवनिर्माण करना चाहता है।

[च] जिस आर्किटेक्ट से नक्शा बनवायेगा, उसी से उस भवन का अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

[छ] नक्शा ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट होंगे और दूसरा नक्शा जो नगर पंचायत गोकुल में रखा जायेगा, वह क्लाथ पेपर पर होगा। अन्य दस्तावेज जैसा पालिका अपेक्षा करें, जमा किया जायेगा।

(2) धारा 3(1) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के साथ नगर पंचायत के अवशेष करो एवं निश्चित किया गया शुल्क की रसीद लगाना अनिवार्य है इसके बिना नोटिस वैद्य नही होगा।

(3) भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत जारी न किये जाने की दशा में अदा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(4) नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के अन्दर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या किसी भवन में या उसके किसी भाग में परिवर्तन या बढाने या प्रोजेक्शन के नोटिस के साथ मानचित्र या सूचनायें दो प्रतियों में दी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक सड़कों तथा गलियों के सहनिकट दरवाजा या खिड़की खोलने के लिए मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।

(5) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तावित स्थान का मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा और उसमें निम्नलिखित दर्शाया जायेगा।

[क] स्थल की सीमायें और उनकी माप सीमावर्ती भूमि जो उसके स्वामी की है।

[ख] भवन के सहनिकट की गलियों की चौडाई मोहल्लों का नाम, भवन की सीमायें प्रदर्शित होगी।

[ग] हर मंजिल का नक्शा शहर के सहनिकट खुलने वाले दरवाले तथा खिड़कियों आदि की स्थिति।

[घ] नक्शों में नवीन निर्माण जिसके लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया है लाल रंग से तथा पुराने भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।

[च] भवन के पास सरकारी बिजली की लाइन की क्षैतिज दूरी स्पष्ट रूप से मानचित्र पर अंकित की जायेगी।

4—निर्माण की स्वीकृति धारा 180 के अन्तर्गत की जायेगी। प्रत्येक स्वीकृति छः माह तक वैद्य होगी। किन्तु प्रार्थी द्वारा समय बढाने के प्रार्थना-पत्र पर मूल स्वीकृति से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

5—यदि निर्माण की स्वीकृति दी जाने के उपरान्त नगर पंचायत की किसी समय यह संतुष्टि हो जाये कि किसी गलत सूचना के आधार पर अनुमति ली गई है तो नगर पंचायत अनुमति रद्द कर सकती है। इस प्रकार की अनुमति के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य बिना अनुमति किया माना जायेगा।

6—अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी तथा इनके द्वारा अधिकृत सदस्य या कर्मचारी किसी भी समय स्वीकृति चाहने वाले कार्यो का निरीक्षण कर सकता है।

7—भवन निर्माण हेतु दी गई स्वीकृति का प्रभाव धारा 184 के अनुसार होगी।

8—चलचित्र भवन बनाने की अनुमति जिलामजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति के पश्चात् प्रदान की जायेगी।

9—भवन निर्माण हेतु नक्शे में प्रोजेक्शन एवं चबूतरे का विवरण स्पष्ट अंकित किया जायेगा। प्रोजेक्शन की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जायेगी।

(1) भवन के ऊपरी मंजिल से बालकनी, बरामदा, छज्जा या अन्य प्रक्षेप ऐसी सड़क के ऊपर नहीं बनाया जायेगा जिसकी चौड़ाई 12 फिट से कम हो।

(2) किसी भी प्रक्षेप की चौडाई 3 फिट से अधिक नहीं होगी किन्तु सड़क के धरातल से प्रक्षेप की ऊंचाई 12 फिट से कम नहीं होगी।

(3) यदि प्रस्तावित प्रक्षेप से बिजली की लाइन तक पहुंच सकना सम्भव होगा तो प्रक्षेप की अनुमति न दी जायेगी। जब तक बिजली की लाइन में परिवर्तन न हो जाय।

(4) प्रत्येक प्रक्षेप के लिए शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा। यदि एक ही भवन में दो या अधिक मंजिलों पर प्रक्षेप बनता हैं तो शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा।

10—अधिनियम की धारा 186 के अन्तर्गत निर्माण को रोकने तथा निर्माण किये गये भवन को गिराने का अधिकार इन उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी होगा।

(1) इन उपविधियों की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह सब सड़कों व नलियों के ऊपर अतिक्रमण तथा प्रक्षेपों को हटाने के लिए नगरपालिका अधिनियम की धारा 211 के द्वारा नगर पंचायत को प्रदत्त किसी अधिकार को कम करती है, भले ही ऐसे अतिक्रमण तथा प्रक्षेपों के लिए स्वीकृति दे दी हो।

11—प्रस्तुत मानचित्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा धारा 180 एवं धारा 298 शीर्षक 'क' के उपशीर्षक (ज) में निहित प्रावधानों के सम्बन्ध में एवं निर्माण की रीति अभीवियों, चिमनियों, नालियों शौचालयों,संडासों, मूत्रालयों और मलकूप की स्थिति, वायु के निर्वाध संचरण को सुनिष्चित करने, आगे लगने की रोकथाम के लिये भवन के चारों ओर छोड़ा जाने वाला स्थान, मंजिलों की संख्या अन्य ऐसे विषय जिससे सतायन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता हो, भवन के बाहर ग्रीन एरिया के अनुपाल,रेनवाटर, हार्वेस्टिंग इत्यादि के सम्बन्ध में यथाशक्य विचार किया जायेगा। विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भवन में आगन या वाटिका के लिए कुछ भूमि खाली छोडों लाये खाली भूमि के क्षेत्र का निर्धारण मौके की स्थिति को ध्यान में रखकर अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। तदुपरान्त मानचित्र हेतु स्वीकृत अधिशासी अधिकारी की रिपोट पर अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जायेगी।

12—यदि मानचित्र अस्वीकृत किया जाता है तो पालिका द्वारा कारणों को दर्शाते हुए आपत्तियों को दुरुस्त करने की अपेक्षा की जा सकती है। तदुपरान्त पनुः आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

13—आर्किटेक्ट के लिए रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया) वार्षिक शुल्क लेकर लाइसेन्स दिया जा सकता है। लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी। लाइसेन्स जारी होने के उपरान्त अन्य आर्किटेक्ट से बनाया हुआ मानचित्र अवैध करार दिया जा सकता है—

(1) यदि कोई लाईसेन्स शुदा आर्किटेक्ट नहीं है तो नक्शा किसी भी योग्यता प्राप्त आर्किटेक्ट से बनवाया जा सकता है।

(2) आवेदक के मानचित्र को तैयार कराने का दायित्व नगर पंचायत का नहीं होगा।

14—किसी सड़क या भूमि के ऊपर अपनी जगह में कोई दरवाजा, खिड़की, नाली अनुमति लेकर ही बनायी जायेगी।

15—भवन का निर्माण किसी भी कारण से नगर पंचायत की नाली/नाले/सड़क को आच्छादित नहीं करेगा—

(1) भवन के सामने के नाले को यथासम्भव लोहे का चलायमान जाल डालकर आवागमन योग्य किया जा सकता है, ताकि नाले/नालियों की सफाई में कोई बाधा न उत्पन्न हो। नाले/नालियों/सड़क के आच्छादन की स्थिति में प्रथम अपराध के लिये रु0 2,000.00 एवं अग्रेतर उल्लंघन की स्थिति में रु0 200.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(2) कोई भी भवन निर्माण सरकारी सड़क से या नाली के बाहरी किनारे से 2 फुट भूमि को छोड़कर किया जायेगा तथा गलियों में 1 फुट भूमि छोड़कर निर्माण किया जायेगा।

16—भवन निर्माण कार्य आरम्भ करने पर भवन स्वामी द्वारा नगर पंचायत को यह सूचना दी जायेगी कि कार्य आरम्भ कर दिया गया है। निर्माण कार्य पूरा किये जाने का प्रमाण-पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यह प्रस्तावित भवन तब तक पूर्णरूपेण या अंशतया अध्यासित नहीं किया जायेगा, जब तक कि पालिका इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी न कर दे।

17—संदर्भित भवन का निर्माण अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के लिये आवेदक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा।

18—कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली में पालिका की स्वीकृति के बिना नाली, फर्श का निर्माण नहीं करेगा और न ही कोई फर्श या नाली तोड़ेगा या उसमें परिवर्तन करेगा। उल्लंघन की स्थिति में प्रथम अपराध के लिये रु0 2,00.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

19—कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली में या किनारे पालिका की स्वीकृति के बिना भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण नहीं करेगा। इसके लिए नियमानुसार कार्य आरम्भ करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त भी यदि पालिका को यह विश्वास करने का कारण हो कि उक्त भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण से यातायात या सार्वजनिक आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तोदी गई अनुमति समाप्त की जा सकती है।

20—भवन निर्माणकर्ता कार्य समाप्त कर सड़क पर पड़ा मैटेरियल/मलवा आदि साफ करायेगा और गढ्ढे आदि भरवाएगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली/नाला/नाली में या किनारे पालिका की स्वीकृति के बिना भवन के मलबे का भण्डारण नहीं करेगा। यदि पालिका को यह विश्वास करने का कारण हो कि उक्त भवन के मलबे के सड़क/नाली/नाले में भण्डारण से यातायात या सार्वजनिक आवागमन/जल निकासी में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो पालिका उसे 24 घण्टे में हटाने की अपेक्षा व्यक्ति से कर सकती है और उल्लघन की स्थिति में अर्थदण्ड आरोपित कर सकती है।

21—यदि कोई निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया जाता है, तो अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर या आवेदक द्वारा निर्माण के पश्चात् स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर यदि वह निर्माण इस उपविधि के अन्तर्गत दी गई शतों के अनुरूप बनाया गया है तो उसको स्वीकृति भी दी जा सकती है। ऐसी स्वीकृति

के लिए निर्धारित शुल्क के अनिरिक्त 20 गुना अर्थदण्ड अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार किया जा सकता है।

22—नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 212(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पंचायत की सीमा के बाहर से 5 कि0मी0 की दूरी तक समस्त भवन, मार्ग या नाली के निर्माण इस उपविधि से नियंत्रित या विनियमित होंगे अर्थात यह उपविधि सीमा के बाहर 5 कि0मी0 की दूरी तक प्रभावी होगी।

23—स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शुल्क अग्रिम देय होगा।

अनुसूची

क्र0स0	स्वीकृत योग्य मदें	दरें
1	2	3
		रु0
1	मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रार्थना-पत्र का शुल्क	500.00
2	आवासीय भवन / कालोनी प्लान निर्माण / पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन के लिए दर	50.00 प्रति वर्ग मीटर।
3	व्यवसायिक एवं आवासीय तथा केवल व्यवसायिक / वाणिज्यिक / व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवन / कॉलोनी प्लान के निर्माण / पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन के लिए दर	200.00 प्रति वर्ग मीटर।
4	बहुमंजिला आवासीय बिल्डंग काम्प्लेक्स	500.00 प्रति वर्ग मीटर।
5	बहुमंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग काम्प्लेक्स	1,000.00 प्रति वर्ग मीटर।
6	खिडकी, दरवाजे, नाली आदि के निर्माण के लिए	500.00 प्रति
7	अवधि बढाये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र का शुल्क	500.00
8	छज्जा, बालकनी, चबूतरा के लिए शुल्क	200.00 वर्ग मीटर
9	निर्माण सामग्री सार्वजनिक सड़क के किनारे रखने हेतु शुल्क (प्रति 50 वर्ग फिट पर)	प्रथम 2 दिन निःशुल्क अनिरिक्त प्रति 10 दिन रु0 1,000.00।
10	सड़क व नालियों में भवन का जमा मलवा नगर पंचायत के कार्मियों द्वारा हटाने हेतु शुल्क	5,000.00 एकमुश्त।
11	मात्र दीवार निर्मित कराने हेतु	25.00 प्रति मीटर।

नोट—(1) प्रत्येक मंजिल का शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा।

(2) दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढोत्तरी होगी जो वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल से लागू होगी। इन शुल्क गढोत्तरी को पांच वर्ष पश्चात् लागू रखने के लिए नगर पंचायत पुनः विचार कर सकती है।

(3) यदि कोई दुकान, रेस्टोरेन्ट या गोदाम किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था के द्वारा बनायी जा रही है तो उसकी फीस, उपरोक्त दरों की 1/2 होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर, धर्मशाला या अन्य कोई पूजा गृह जिसमें किराये आदि की व्यवस्था न हो वह निःशुल्क होगा।

(4) भूमिगत तल की अनुमति सामान्यतया नहीं दी जायेगी। अनुमति विशेष परिस्थिति में प्रस्तावित भवन के आसपास के भवनों एवं सार्वजनिक सड़क / नाली की स्थिति को ध्यान में रखकर उपरोक्त भवन श्रेणियों की दरों के 4 गुना दर पर ही दी जा सकेगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, गोकुल निर्देश देती है कि इस उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर रु0 1,000.00 तक अर्थदण्ड दिया जायेगा। यदि अपराध प्रथम दोश होने के दिनांक से निरंतर जारी रहा हो तो रु0 25.00 प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा।

संजय दीक्षित,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गोकुल,
मथुरा।

कार्यालय, नगर पंचायत गोकुल, जनपद मथुरा

11 फरवरी, 2021 ई0

सं0 215/न0पं0गो0-2021-22–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, गोकुल जनपद मथुरा बोर्ड प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 29 अगस्त, 2020 आलोच्य में तैयार वाहन स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क उपविधि नियमावली, 2020 प्रस्तावित करती है। जिसका नगर पंचायत गोकुल द्वारा दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" व "हिन्दुस्तान" के अंक दिनांक 12 फरवरी, 2021 को प्रकाशित की गयी थी। निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ तथा अन्तिम निर्णय के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है और यह घोषित किया जा रहा है कि उक्त अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

वाहन स्टैण्ड/पार्किंग फीस उपविधि

1–**संक्षिप्त नाम**–(क) यह उपविधि नियमावली नगर पंचायत, गोकुल की सीमा के अन्तर्गत वाहन के विनियमित एवं नियंत्रण हेतु वाहन स्टैण्ड/पार्किंग फीस नियमावली, 2020 कहलायेगी।

2–**परिभाषायें**–(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत, गोकुल से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य गोकुल अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) "अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्य गोकुल नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) "फीस" का तात्पर्य नगर पंचायत गोकुल में वर्णित मदों में दर्शायी गयी फीस से है।

(च) "निरीक्षकर्ता" का तात्पर्य नगर पंचायत, गोकुल के अधिशासी अधिकारी अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी से है।

3–नियमावली में दी गयी तालिका में वर्णित मदों पर वर्णित एवं निर्धारित धनराशि को नगर पंचायत, गोकुल की सीमा में चालकों/परिचालाकों द्वारा स्टैण्ड/पार्किंग स्थलों पर ठहरने तथा सीमान्तर्गत सवारियों को उतारने चढ़ाने पर स्टैण्ड/पार्किंग फीस के रूप में धनराशि देनी होगी।

4–देय धनराशि की रसीद प्राप्त करनी होगी तथा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दिखानी होगी।

5–"वाहनों" का तात्पर्य उन वाहनों से है। जो नगर पंचायत की सीमा अन्तर्गत स्टैण्ड/पार्किंग स्थानों अथवा किसी भी स्थान पर ठहरने हो अथवा सवारी उतारते चढ़ाते है।

6–"सीमा" से तात्पर्य नगर पंचायत, गोकुल की सीमान्तर्गत सड़कों एवं पटरियों से है।

7–वाहन चालक/परिचालक/मालिक द्वारा तालिका में वर्णित मदों के अनुरूप महसूल अदा करना होगा।

8–नगर पंचायत स्टैण्ड/पार्किंग फीस/महसूल को अपने कर्मचारियों से अथवा ठेकेदार से वसूल करायेगी। इस महसूल का ठेका उठाने को नगर पंचायत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

तालिका

क्र0सं0	वाहन का नाम	प्रस्तावित दर	विवरण
1	2	3	4
		रु0	
1	मोटर गाड़ी, बस, डीजल तथा पेट्रोल से चलने वाले भारी वाहन	100.00 प्रतिदिन	स्टैण्ड/पार्किंग स्थल जो नगर पंचायत निर्धारित करें।
2	पार्टी वाली बस	100.00 प्रतिदिन	
3	टाटा 407 मिनी बस एवं चार पहिये वाहन	60.00 प्रतिदिन	
4	तांगा रेडी, थ्री व्हीलर आटो रिक्शा	20.00 प्रतिदिन	
5	जीप कार, मार्शल, टाटा सुमो, पेट्रोल तथा डीजल से चलाने वाले छोटे वाहन से	50.00 प्रतिदिन	
6	उपरोक्त वाहन नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत सवारी उतारते एवं चढ़ाते हैं तो सवारी भाड़े के वाहन/परिचालक/मालिक को उपरोक्त दरों से महसूल देना होगा।		

निम्नलिखित फीस/महसूल से मुक्त होगें–

1–सरकारी वाहन, शव वाहन आदि अधिकृत वाहन।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, गोकुल आदेश देती है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों का रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) जुर्माना किया जा सकता है और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा जो प्रथम दोषसिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो पच्चीस रुपये हो सकेगा।

संजय दीक्षित,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गोकुल,
मथुरा।

कार्यालय, नगर पंचायत कदौरा, जालौन

09 मार्च, 2021 ई0

सं0 1324/न0पं0 कदौरा/वाहन पार्किंग नियमावली/2018/2020-21–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) की उप धारा ज (ख) की सूची एक के शीर्षक (ज) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत नगर पंचायत, कदौरा, जनपद जालौन ने अपनी सीमा के अन्तर्गत वाहनों के पड़ाव/पार्किंग शुल्क वसूल करने हेतु निकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के प्रस्ताव संख्या 5(ग) में पारित प्रस्ताव के अनुसार उपविधियां बनायी जाती है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 301 (2) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है जिसकी अवधि एक माह 30 दिन होगी। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई आपत्ति एवं सुझाव नहीं प्राप्त होने की दशा में सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा और गजट में प्रकाशन के बाद उसे तत्काल लागू माना जायेगा। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुए। अतः वाहन पार्किंग शुल्क नियमावली प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी।

नियमावली

1–**संक्षिप्त नाम**–यह नियमावली नगर पंचायत, कदौरा, जनपद जालौन वाहन स्टैण्ड (पार्किंग शुल्क) नियमावली, 2018 कहलायेगी।

2–परिभाषायें–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, कदौरा, जनपद जालौन के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत कदौरा जनपद जालौन के अध्यक्ष से है।

(घ) प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, कदौरा, जनपद जालौन के प्रभारी अधिकारी से है।

(ङ) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, कदौरा, जनपद जालौन के बोर्ड से है।

(च) सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत कदौरा जनपद जालौन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से है।

3–वाहन स्टैण्ड शुल्क (पार्किंग शुल्क) का तात्पर्य नगर पंचायत कदौरा, जनपद जालौन की सीमा में चलने, रुकने, ठहरने, सवारियों को उतारने-चढ़ाने पर निर्धारित वाहन स्टैण्ड शुल्क से है।

4–इस नियमावली के अन्तर्गत नगर पंचायत कदौरा, जनपद जालौन की सीमान्तर्गत वाहनों के चलने, रुकने, ठहरने तथा सवारियों को उतारने-चढाने, रात्रि विश्राम हेतु सार्वजनिक भूमि का उपयोग करने पर निर्धारित वाहन स्टैण्ड शुल्क (पार्किंग शुल्क) देना अनिवार्य है।

5–वाहन स्टैण्ड शुल्क उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2)(एच)(जे) के अन्तर्गत है।

6–वाहन स्टैण्ड शुल्क की वसूली नगर पंचायत कदौरा, जनपद जालौन कर्मचारियों द्वारा कर सकती है अथवा ठेकेदार नियुक्त कर सकती है जो नियमानुसार नियमावली में निर्धारित दर से वसूली करेगा।

7–ठेकेदार प्रथा हेतु प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष स्थानीय प्रकाशन के उपरान्त सार्वजनिक नीलामी अथवा शासनादेश के अनुसार किया जायेगा परन्तु अन्तिम स्वीकृति अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को अनुमन्य होगी यदि अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो कि इस नियमावली की किसी धारा का दुरुपयोग हो रहा है अथवा वह जनहित में नही है तो उसे निलम्बित करने अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।

8–नगर पंचायत कदौरा, जनपद जालौन द्वारा निश्चित किये गये पार्किंग स्थल (वाहन स्टैण्ड) को छोड़कर नगर सीमाओं के चारों ओर 03 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्य वाहन स्टैण्ड स्थापित नही किया जायेगा।

9–पार्किंग शुल्क वसूली सम्बंधी कार्य का निरीक्षण किसी भी समय अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा किया जा सकता है।

10–राजकीय वाहन, शव वाहन एवं रोगी वाहन इस पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेंगे तथा इसके अतिरिक्त ऐसे वाहन जो सरकारी/अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरुप घरेलू सामान से लदे हो पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेंगे। इस आषय का सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र दिखाना होगा, उसे पार्किंग शुल्क वसूली हेतु तैनात कर्मचारियों को रजिस्टर में दर्ज करना होगा।

11–नगर पंचायत कदौरा अन्तर्गत कृषकों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले ट्रैक्टर/ट्राली जोकि खाद/फसलों से लदे हो पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेंगे।

12–राजकीय कार्य हेतु अधिकृत की गयी प्राइवेट जीप, कार, एम्बूलेंस, सरकारी बसें, शव वाहन आदि भी इस शुल्क से मुक्त रहेगें।

13–नगर पंचायत कदौरा सीमा से गुजरने वाले उन वाहनों पर पार्किंग शुल्क देय होगा जोकि सीधे कदौरा के किसी भी मार्ग पर गुजरेगी तथा नगर पंचायत कदौरा, जनपद जालौन की सीमा के अन्तर्गत सवारी या माल की लोडिंग एव अन्य लोडिंग करेगी तो उन सभी वाहनों से भी देय होगा।

14—नगर पंचायत कदौरा आवश्यकतानुसार/सुविधानुसार सड़क के किनारे बाजारों आदि में पार्किंग स्थल नियत करेगी जिसकी सूचना सूचना-पट पर अंकित की जायेगी।

15—नगर पंचायत कदौरा आवश्यकतानुसार/सुविधानुसार समय-समय पर पार्किंग स्थल में परिर्वतन भी कर सकती है।

16—नगर पंचायत कदौरा द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल पर कोई बस, ट्रक, जीप कार, टैम्पो टैक्सी, थ्री व्हीलर, टैक्टर/ट्राली, तांगा, बुग्गी आदि वाहन नियमानुसार नगर पंचायत कदौरा को निर्धारित पार्किंग शुल्क अदा करने के पश्चात् ही रसीद प्राप्ति के उपरान्त ही पार्किंग स्थल पर खड़े किये जायेगें।

17—वाहन स्टैण्ड शुल्क का प्रतिदिन की दर निम्न प्रकार होगी—

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	निर्धारित प्रस्तावित शुल्क
1	2	3
		रु0
1	मोटर बस लारी	50.00
2	मिनी बस	40.00
3	जीप, कार	25.00
4	मेटाडोर	30.00
5	ट्रैक्टर सामान/माल से लदा हुआ	25.00
6	ट्रक/टैंकर आदि भारी वाहन	50.00
7	तांगा/बग्गी/टेम्पू टैम्पो/आटो रिक्शा	10.00

18—ठेकेदार द्वारा उपर्युक्त लिखित का उल्लंघन करने पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत कदौरा, जालौन द्वारा ठेका निलंम्बित/निरस्त करने का अधिकार होगा। ठेके से सम्बंधी किसी भी वाद-विवाद के लिये अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा, जनपद जालौन का निर्णय अंतिम होगा और उसे उभयपक्षों को मान्य होगा।

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत कदौरा, जनपद जालौन यह नियत करती है कि उक्त उपविधियों की किसी भी धारा का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और ऐसा प्रमाणित होने पर मु0 एक हजार का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा अपराध जारी रहने पर जो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिनांक तक जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि उसका अपराध जारी रहा है तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये दस रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देय होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, कदौरा,
जालौन।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुछ अभिलेखों में मेरा नाम जितेन्द्र खटीक है और कुछ अभिलेखों में मेरा नाम जितेन्द्र कुमार है, दोनों नाम मेरे ही है भविष्य में मुझे जितेन्द्र खटीक (JITENDRA KHATEEK) पुत्र रमेश कुमार (RAMESH KUMAR) पता 87/2, सुभाषपुरा ललितपुर के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

जितेन्द्र खटीक,
पुत्र रमेश कुमार,
निवासी 87/2, सुभाषपुरा
ललितपुर, परगना, तहसील व
जिला ललितपुर (उ0प्र0)।

सूचना

सूचित किया जाता है कि संजय सिंह तोमर व संजय सिंह पुत्र बरदावर सिंह एक ही नाम का व्यक्ति है। जो कि भविष्य में संजय सिंह के नाम से जाना जाये। नि0-204, जी-ब्लाक, सी0बी0सी0आई0डी0 कालोनी, गोमती नगर, लखनऊ।

संजय सिंह।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स ड्रीम ट्रैक्टर, मोहल्ला-तुर्क पट्टी, लहरपुर रोड, खैराबाद, जिला-सीतापुर की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है, जिसमें दो साझेदार मो0 सुएब एवं श्री पंकज जायसवाल थे, जिसमें एक साझेदार श्री पंकज जायसवाल आपसी सहमति से फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक निकल रहे हैं तथा एक नये साझेदार श्रीमती नेहा परवीन फर्म में शामिल हो रही हैं, वर्तमान में दो साझेदार क्रमशः मो0 सुएब पुत्र

मो0 अफाक अन्सारी एवं श्रीमती नेहा परवीन पत्नी मो0 सुएब साझेदार हैं जिसकी सूचना दी जा रही है।

मो0 सुएब,
साझेदार ड्रीम ट्रैक्टर,
जिला सीतापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स फारूक हैंडलिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट एजेन्सी, 135, न्यू शान्ति नगर, रेलवे रोड, मेरठ शहर, मेरठ–250002 की साझीदारी में श्री फारूक अहमद, श्री ताहिर इस्लाम, श्रीमती आयशा बानो एवं श्री तारिफ शमशाद साझीदार थे। दिनांक 09 जनवरी, 2021 को श्री तारिफ शमशाद फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये हैं। वर्तमान में श्री फारूक अहमद, श्री ताहिर इस्लाम एवं श्रीमती आयशा बानो साझीदार है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

फारूक अहमद,
साझीदार,
मेसर्स फारूक हैंडलिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट,
एजेन्सी 135, न्यू शान्ति नगर, रेलवे रोड,
मेरठ शहर, मेरठ-250002।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पाकीज़ा इन्डस्ट्रीज स्थित विलेज डांडी हमीर, पो0 आ0 रिछा, जिला बरेली, उ0प्र0, पिनकोड–243201 (पंजीकरण संख्या B-9697) फर्म में कुल 8 साझेदार–अनीसउद्दीन, मो0 जाहिद, मुस्ताक अहमद, रफीक अहमद, मो0 फुरकान, सगीर अहमद, अखलाक अहमद व खलील अहमद थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 25 फरवरी, 2021 को फर्म में 6 नये साझेदार अतीक अहमद, मरियम निशा, मो0 इब्राहिम, अकीलन बेगम, हसीन बानो व जैबुन निशा शामिल किये गये हैं तथा फर्म के 3 साझेदार मुस्ताक अहमद, रफीक अहमद व सगीर अहमद फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 25 फरवरी, 2021 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये हैं तथा दो साझेदारों अखलाक अहमद व खलील अहमद की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी साझेदारी दिनांक 25 फरवरी, 2021 को समाप्त हो गयी। अवकाश ग्रहण साझेदारों व मृतक साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदारों का फर्म पर या फर्म का साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल 9 साझेदार अनीसउद्दीन, मो0 जाहिद, मो0 फुरकान, अतीक अहमद, मरियम निशा, मो0 इब्राहिम, अकीलन बेगम, हसीन बानो व जैबुन निशा हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

मो0 जाहिद,
साझेदार,
मेसर्स पाकीजा इन्डस्ट्रीज,
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम बैभव गुप्ता पुत्री श्री ऋषिपाल गुप्ता था। शादी के बाद मैंने अपना नाम बदलकर राधा गुप्ता रख लिया था। यह दोनों मेरे ही नाम हैं। भविष्य में मुझे राधा गुप्ता पत्नी श्री मोहित गुप्ता, निवासी ग्राम बाजपुर कुमरिखा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर जे नाम से ही जाना जाये।

राधा गुप्ता।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जय बाबा ब्रिक फील्ड पता-सी-324, हिन्दनगर, कानपुर रोड, लखनऊ, जिसका रजि0 नं0 195240, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 को पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पार्टनर मेवा लाल, द्वितीय पार्टनर, वासुदेव कुमार, तृतीय पार्टनर राजेश कुमार, चतुर्थ पार्टनर अजय कुमार साझीदार थे। दिनांक 01 जनवरी, 2021 को श्री मेवालाल पुत्र स्व0 बकारी मल साझीदारी से अलग हो गये हैं, दिनांक 01 जनवरी, 2021 से नये पार्टनर श्री महेन्द्र पवानी, श्री विकास कुमार श्रीवास्तव श्री जागेन्द्र पवानी, श्री समीर मित्तल, श्री मनीष अग्रवाल, श्री सुनील अग्रवाल तथा श्री श्रेय अग्रवाल साझीदारी में सम्मिलित हो गये हैं।

वर्तमान में 1–श्री अजय कुमार, 2–श्री वासुदेव कुमार, 3–श्री राजेश कुमार, 4–श्री महेन्द्र पवानी, 5–श्री विकास कुमार श्रीवास्तव, 6–जागेन्द्र पवानी, 7–समीर मित्तल, 8–मनीष अग्रवाल, 9–सुनील अग्रवाल व 10–श्रेय अग्रवाल साझीदार होगें।

अजय कुमार,
पार्टनर,
मेसर्स-जय बाबा ब्रिक फील्ड,
पता-सी-324, हिन्दनगर,
कानपुर रोड, लखनऊ।

सूचना

फर्म हंसराज संस एण्ड क0 95-बी न्यू मण्डी मुजफ्फरनगर, रजिस्ट्रेशन संख्या 136567 के साझेदार हंसराज वधावन की मृत्यु दिनांक 05 अक्टूबर, 2001 को हो जाने के कारण शेष पूर्व भागीदार कृष्ण कुमार व संजय कुमार द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2001 संशोधित साझेदारी विलेख के अनुसार फर्म का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में फर्म की एक अन्य संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 02 जनवरी, 2021 के अनुसार निधि वधावन व संचित वधावन फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हो गये हैं। अब दिनांक 02 जनवरी, 2021 से वर्तमान में साझेदारी विलेख के अनुसार कुल चार साझेदार कृष्ण कुमार, संजय कुमार, निधि वधावन व संचित वधावन हैं।

संजय कुमार,
(पार्टनर),
फर्म हंसराज संस एण्ड क0,
95-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।

सूचना

1–यह कि निवेदन करना है कि M/s. OM RAJ FOODS, 52 Uptron Estate Panki Industrial Area Kanpur 208022, सं0–005372020-2021, पंजीकरण संख्या केएपी/000707 के संविधान में दिनांक 17 अगस्त, 2020 पर पंजीकृत है।

2–यह कि दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 से उक्त फर्म की साझेदारी से Mr. Harsh Shyamdashni S/o Shri Sanjay Shyamdasani R/o 117/H-1/187, Pandu Nagar, Kanpur Nagar-208005 अपनी स्वेच्छा से दिये गये पत्र दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा रिटायर्ड हो गये हैं।

3–यह कि दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 से उक्त फर्म में Mrs. Kanika Shyamdsni D/o Mr. Ashok Kanjani R/o 117/H-1/187, Pandu Nagar, Kanpur Nagar-208005 शामिल हो गया है।

4–यह कि फर्म के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन करके Arazi Nos. 308, 309, 310, Vill.-Raipur Kukhat, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh-209304 किया गया है।

इसके अतिरिक्त फर्म में अन्य कोई भी परिवर्तन नहीं किये गये हैं। उपरोक्त परिवर्तनों की सूचना सहित समस्त आवश्यक प्रपत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

कमलेश कुमार,
साझीदार,
M/s. OM RAJ FOODS,
52, Uptron Estate Panki,
Industrial Area, Kanpur 208022.

पी0एस0यू0पी0–50 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।